न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान बनाम ओमप्रकाश किस्म मुकदमा : रेफरेन्स मु0नं0 28/2018	
23.09.2024	राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राह्मण की तलबी हेतु जारी रजिस्टर्ड नोटिस लौटकर प्राप्त होने पर नोटिस पर अप्रार्थी निवास स्थल पर नहीं रहना अंकित किया गया है। अप्रार्थी की तलबी हेतु अप्रार्थी के सही पते की सूचना के अभाव में अप्रार्थी की तामील करवाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी की तलबी हेतु सही पता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी की तलबी हेतु सही पते की सूचना के अभाव में प्रकरण अनावश्यक रूप से न्यायालय में विचाराधीन है। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है वह स्वच्छ टंकित नहीं है एवं अप्रार्थी की तलबी हेतु अप्रार्थी का पता भी उपलब्ध नहीं है तथा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में सम्बन्धित भूमि आंवटन सम्बन्धित प्रविष्टियां अंकित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने एवं सही पते की सूचना के अभाव में चलाये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अप्रार्थी की तलबी किये जाने हेतु पूर्ण पता सहित स्वच्छ टंकित संशोधित टाइटल एवं रेफरेन्स पेश किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में पूर्ण प्रविष्टियां अंकित कर नये सिरे से न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर ,दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2025.01.22 18:24:39 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official